माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website- msuniversity.ac.in e-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 68 / एन0एस0एस0 / एम.एस.यू. / 2022–23 दिनांक 02.11.2023

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,सहारनपुर।

विषयः– विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 अभियान में 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या–2930 / सत्तर –3–2023 उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 02.11.2023 के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है विधानसभा निर्वाचक नामावलियो का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 अभियान में 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–437 / सीईओ –6–59 / 4–2022 दिनांक 12.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के आलोक में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि संलग्न पत्र के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य कराना आपेक्षित है तथा की गई कार्यवाही की फोटोग्राफ एवं अखबार की कटिंग कार्यालय की ई–मेल nss@msuniversity.ac.in पर ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 293० / सत्तर–3–2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Rec 1790
02/11/2023

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

समन्वयक (NSS)
कृ. आ. का. करें।
02.11.23

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2023

विषय : विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 अभियान में 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–437 / सीईओ–6–59 / 4–2022, दिनांक 12.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संदर्भित पत्र में निम्नवत् बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चत कराने की अपेक्षा की गयी है :–

I- प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सक्रिय एन०एस०एस० / एन०सी०सी० / भारत स्काउट एण्ड गाइड के कैम्पस एम्बेसडर / वालेन्टीयर्स / को–आर्डिनेटर से उस स्कूल / कालेज के लिए उक्त कार्य हेतु सहयोग लिया जाये ।

II- प्रत्येक कक्षा में ऐसे अर्ह भावी युवा मतदाता जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष के हो गये हैं अथवा हो रहे हैं का चिन्हांकन किया जाये तथा उनका शतप्रतिशत पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

III- शैक्षिक संस्थान के युवा मतदाताओं की कक्षाओं में किसी सकिय वालेन्टीयर छात्रा / छात्र को Ranger/Rover के रूप में नामांकित करते हुए बैज प्रदान किया जाय तथा पात्र छात्राओं / छात्रों को मतदाता बनाने की जिम्मेदारी दी जाय। यदि एक कक्षा में पात्र मतदाताओं की संख्या अधिक हो तो कक्षा को आगे उपविभाजित (Further Sub-divide) करते हुए प्रत्येक उपविभाजित समूह हेतु "V Rep" (Voter Representative) बनाए जाय।

IV- मतदाता पंजीकरण के लिए ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों व्यवस्थायें है, परन्तु आनॅलाइन पंजीकरण के लिए अर्ह मतदाता को प्रोत्साहित किया जाय ।

V- आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस–2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैम्पस एम्बेसडर/वालेन्टीयर्स/को–आर्डिनेटर/ Ranger/Rover–V Rep को पुरस्कृत किया जाय।

VI- सुविधानुसार नये मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम मे इपिक देकर उन्हें सम्मानित किया जाय। नए युवा मतदाताओ को प्रतियोगिताओं/लॉटरी के माध्यम से चयनित कर Incentives देने की योजना चलाए, जैसे T&Shirts/Caps/Discout coupons etc- इस कार्य हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

VII- सभी गतिविधियों का प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया/सोशल मीडिया/फेस बुक जिला निर्वाचन अधिकारी के ट्वीटर हैण्डल आदि पर प्रचार–प्रसार भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

VIII- जनपद स्तर पर नामित स्वीप नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं में नामित Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से चिन्हित मतदाताओं के सापेक्ष पंजीकृत मतदाताओं की सूचना प्राप्त की जायेगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।''

3– इस सम्बन्ध में उचित होगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–437/सीईओ–6–59/4–2022, दिनांक 12.10.2023 की छाया प्रति प्रेषित करते हुये प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को 01 सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

"हर वोट है ज़रूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

"हर वोट है ज़रूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

संख्या - 2930 / सतर्क-3-2023

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ-226001

संख्या-437/सीईओ-6-59/4-2022 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 2420/VIPPSHED/2023

विषयः विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना हैं कि आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है।

2- इस संबंध में प्रदेश के जनपद में युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग की Projected Census Population की तुलना में पंजीकृत मतदाताओं का प्रतिशत अपेक्षित से काफी कम है।

3- आयोग की अपेक्षा है कि "कोई मतदाता न छूटे" (No Voter to be left behind) के क्रम में समस्त अर्ह मतदाताओ का पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए जनपद स्तर पर स्वीप नोडल अधिकारी नामित है। उक्त के अतिरिक्त युवा मतदाताओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं में एक Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) भी नियुक्त हैं।

उपरोक्त के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:-

> "आयोग के उपरोक्त निर्देशो में भावी युवा मतदाताओं (18-19 आयु वर्ग) के नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल किये जाने के विषय में उपरोक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अपेक्षित कार्यावाहियां निम्नवत् उद्धृत हैं:-

1. उपरोक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे और उन्हें पंजीकरण की प्रकिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ ऐसी बैठकों/पत्राचार के समय, अर्ह भावी युवा मतदाताओं की संख्या का वास्तविक डेटा भी निम्न प्रारूप पर प्राप्त किया जायेगा तथा पात्र मतदाता व वर्तमान के गैप को भरने हेतु आवश्यक संख्या में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराया जायेगाः-

US(G)
12.10.23
(आर० पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
5201/US(T)/23
US(A)

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

ओ0 प्रमित
13.10.2023

शैक्षिक संस्थान का नाम	18–19 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं की संख्या	मतदाता सूची में दर्ज छात्र/छात्राओं की संख्या	चिन्हित छात्र/छात्राओं की संख्या जिनका नाम मतदाताओं सूची में दर्ज कराना है।
1	2	3	4

2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियों के दौरान विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे मतदाता पंजीकरण प्रकिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल https//voters.eci.gov.in जैसे Voter Service Portal, VHA आदि के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए दावे उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियों की फोटो का सकलन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फार्म जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस हेतु संबंधित स्कूल/कालेज में स्थापित इन्फाइस्ट्रक्चर का सहयोग भी लिया जा सकता है। यदि इन्टरनेट की खराब स्थिति या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन आवेदन जमा करना सभव नहीं हो पा रहा है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक से फार्म–6 प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भौतिक रूप से प्राप्त फार्म–6 और उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्राप्त आवेदनों को डिजीटाइज्ड और प्रोसेस किया जाएगा।

   चूंकि किसी शैक्षणिक संस्थाओं मे कतिपय छात्रों का विवरण संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र से संबधित नही हो सकता है, अत ऑनलाइन आवेदन न कर पाने की स्थिति मे ऐसे आवेदकों के भौतिक रूप से प्राप्त फार्म को डिजीटाइज्ड किया जाएगा और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए ईआरओ नेट के माध्यम से संबंधित ईआरओ को भेजा जाएगा।

4. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त ऐसे सभी फार्मों का संस्थानवार डेटा संरक्षित किया जाएगा, जिससे पात्र मतदाताओं के सापेक्ष पंजीकरण के प्रतिशत का विश्लेषण करने और शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति बनाने में मदद प्राप्त होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है:–

I. प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सकिय एन0एस0एस0/ एन0सी0सी0/भारत स्काउट एण्ड गाइड के कैम्पस एम्बेसडर/ वालेन्टीयर्स/को–आर्डिनेटर से उस स्कूल/कालेज के लिए उक्त कार्य हेतु सहयोग लिया जाये।

II. प्रत्येक कक्षा में ऐसे अर्ह भावी युवा मतदाता जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष के हो गये हैं अथवा हो रहे हैं का चिन्हांकन किया जाये तथा उनका शतप्रतिशत पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

III. शैक्षिक संस्थान के युवा मतदाताओं की कक्षाओं में किसी सकिय वालन्टीयर छात्रा/छात्र को Ranger/Rover के रूप में नामांकित करते हुए बैज प्रदान किया जाय तथा पात्र छांत्राओं/छात्रों को मतदाता बनाने की जिम्मेदारी दी जाय। यदि

एक कक्षा में पात्र मतदाताओं की संख्या अधिक हो तो कक्षा को आगे उपविभाजित (Further Sub-divide) करते हुए प्रत्येक उपविभाजित समूह हेतु "V Rep" (Voter Representative) बनाएं जाय।

IV. मतदाता पंजीकरण के लिए ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाये है, परन्तु आनॅलाइन पंजीकरण के लिए अर्ह मतदाता को प्रोत्साहित किया जाय।

V. आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस–2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैम्पस एम्बेसडर/वालेन्टीयर्स/को–आर्डिनेटर/ Ranger/Rover & V Rep को पुरस्कृत किया जाय।

VI. सुविधानुसार नये मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस–2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इपिक देकर उन्हें सम्मानित किया जाय। नए युवा मतदाताओं को प्रतियोगिताओं/लॉटरी के माध्यम से चयनित कर Incentives देने की योजना चलाएं, जैसे T-Shirts/Caps/Discout coupons etc. इस कार्य हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

VII. सभी गतिविधियों का प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया/सोशल मीडिया/फेस बुक जिला निर्वाचन अधिकारी के ट्वीटर हैण्डल आदि पर प्रचार–प्रसार भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

VIII. जनपद स्तर पर नामित स्वीप नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं में नामित Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से चिन्हित मतदाताओं के सापेक्ष पंजीकृत मतदाताओं की सूचना प्राप्त की जायेगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।"

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया शैक्षणिक संस्थाओ में उक्त कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(निधि श्रीवास्तव)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
12/10/2

c:\users\hp\desktop\suhail-23-24\ssr 2024.docx